न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2020

अपीलांट

1. मसरा पुत्र ओखा
2. मोडा पुत्र ओखा
3. नारणा पुत्र ओखा
4. चैला पुत्र ओखा जातियान तमाम सुथार निवासी मोखुपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. वीसा पुत्र भोमा जाति सुथार निवासी मोखुपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर
2. तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जगदीश गोदारा, पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/9/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2019 बउनवान मसरा बनाम वीसा में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा मौखुपुरा तहसील सांचौर वर्तमान खसरा नम्बर 1865 में आने जाने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1864 में से रास्ते की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किया एवं उक्त धारा के अन्तर्गत अपीलांटगण को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने रास्ते दिये जाने का न्यायालय का कर्तव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 31.01.2020 के अनुसार भी खसरा नम्बर 1865 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है खसरा नम्बर 1864 में रास्ता दर्शाया गया है जिसे नही मान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दुबारा मौका रिर्पोट मंगवाई गयी थी। जो दिनांक 24.08.2020 को तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 1865 में आवागमन हेतु नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 1870 दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका फर्द के अनुसार जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट के आराजी खसरा नम्बर 1865 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 1864 में से रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावे विकल्प में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नक्शा परिशिष्ट–अ अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे नही माने तो मौका रिर्पोट दिनांक 24.08.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 1863 के माठ के सहारे जो रास्ता दर्शाया गया है वहा से अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 1865 में जाने हेतु रास्ता प्रदान करवाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा मोखुपुरा तहसील सांचौर के खसरा नंबर 1865 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1864 में से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1870 से होते हुए रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट की खातेदारी में पहुचने हेतु कम आराजी की आवश्यकता पडती है एवं अपीलांटगण पूर्व में अपनी आराजी में इसी रास्ते से आते जाते रहे है। अपीलांट को खसरा नंबर 1870के खातेदारो से रास्ते की मांग की जानी चाहिये, किन्तु अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में से रास्ता लेने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी से अपीलांटगण को रास्ता दिया जाना कानूनन उचित नहीं है। अपीलांटगण के पास खसरा नंबर 1870 में से होते हुए अपनी खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता मौजूद होने के बावजूद उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त मौका रिपोर्ट का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की धारा 251ए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा मोखुपुरा तहसील सांचौर के खसरा नंबर 1865 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1864 में से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सांचौर से रिपोर्ट तलब की तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रथम रिपोर्ट जरिये पत्रांक/राजस्व/20/156 दिनांक 14.02.2020 के जरिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, प्रथम मौका रिपोर्ट में खसरा नं 1864 से होकर चाहा गया रास्ता व प्रस्तावित रास्ता मौका स्थिति अनुसार विवरण दिया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग होना बताते हुए तहसीलदार सांचौर से पुनः जांच रिपोर्ट तलब कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांचौर से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई, जो तहसीलदार सांचौर द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2020/778 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, तहसीलदार द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई, स्वयं तहसीलदार द्वारा आवेदित भूमि से मार्गो की दूरी को रेखांकित किया, खसरा नम्बर 1864 से होकर खेत के दो टुकड़े करने की स्थिति में कुल रास्ते की लंबाई 196 मीटर होती है। वही यदि खसरा नं. 1864 के सेठे से लगते हुये यदि रास्ता दिया जाता है तो उसकी कुल लंबाई 300 मीटर है वहीं खसरा नं. 1870 में बिना खेत के दो टुकडे दिये रास्ते की लंबाई 200 मीटर होती है। जो रेस्पोडेन्ट की भूमि में से रास्ता दिये जाने की अपेक्षाकृत निकटतम है इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के जो मुख्य आधार बिन्दु है, उनमें से वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता एवं विशिष्ठतया नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी जोत में सुविधाजनक उपयोग हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अनुतोष चाहा गया था, जिसमें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था। कानूनन रास्ता दिए जाने हेतु निकटतम दूरी का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

"absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है, साथ ही जिस खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहा गया है, उसकी भूमि पर कृषि कार्य करने में न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यह भी ध्यान रखा जाने योग्य बिंदु होता है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। तहसीलदार सांचौर द्वारा द्वितीय मौका जांच रिपोर्ट में खसरा संख्या 1870 में से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। लेकिन अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 1870 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट खसरा संख्या 1870 के खातेदार को पक्षकार बनाकर नया प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 बउनवान मसरा बनाम वीसा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली